



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276156
CG-DL-E-14092026-276156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4793]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4793]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4983(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH752K के कि.मी. 96.59 से कि.मी. 99.542 () तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी अहमदपूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH752K के कि.मी. 96.59 से कि.मी. 99.542 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: लातूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चाकुर					
गांव का नाम: वडवळ नागनाथ					
1	13	निजी	कृषी	1.3378 (हेक्टेयर)	1.3378
2	14	निजी	कृषी	0.0319 (हेक्टेयर)	0.0319
3	169	निजी	कृषी	0.2987 (हेक्टेयर)	0.2987
4	171	निजी	कृषी	0.0599 (हेक्टेयर)	0.0599
5	172	निजी	कृषी	1.2247 (हेक्टेयर)	1.2247
6	174	निजी	कृषी	0.3448 (हेक्टेयर)	0.3448
7	176	निजी	कृषी	0.7163 (हेक्टेयर)	0.7163
8	178	निजी	कृषी	0.6599 (हेक्टेयर)	0.6599
9	308	निजी	कृषी	0.824 (हेक्टेयर)	0.824
10	309	निजी	कृषी	0.8352 (हेक्टेयर)	0.8352
11	314	निजी	कृषी	0.6414 (हेक्टेयर)	0.6414
12	315	निजी	कृषी	0.1429 (हेक्टेयर)	0.1429
13	316	निजी	कृषी	0.1635 (हेक्टेयर)	0.1635
14	317	निजी	कृषी	0.1626 (हेक्टेयर)	0.1626
15	318	निजी	कृषी	0.3379 (हेक्टेयर)	0.3379
16	319/1	निजी	कृषी	0.2966 (हेक्टेयर)	0.2966
17	320	निजी	कृषी	0.4392 (हेक्टेयर)	0.4392
18	322	निजी	कृषी	0.7618 (हेक्टेयर)	0.7618
19	324	निजी	कृषी	0.1449 (हेक्टेयर)	0.1449
20	332	निजी	कृषी	0.3339 (हेक्टेयर)	0.3339
21	388	निजी	कृषी	0.0219 (हेक्टेयर)	0.0219
22	389	निजी	कृषी	0.0389 (हेक्टेयर)	0.0389

23	4	निजी	कृषी	0.3036 (हेक्टेयर)	0.3036
24	5	निजी	कृषी	0.7552 (हेक्टेयर)	0.7552
25	Nalla	सरकारी	अकृषी	0.0765 (हेक्टेयर)	0.0765
26	Railway	सरकारी	अकृषी	0.1408 (हेक्टेयर)	0.1408
27	Road	सरकारी	अकृषी	0.3766 (हेक्टेयर)	0.3766
Total					11.4714

[फा. सं. : RO/MUM/NH(O)/2022-23/56/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4983(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH752K in the stretch of land from Km. 96.59 to Km. 99.542 (Sub-Divisional Office and Land Acquisition Office, Ahmedpur) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO & Competent Authority, Ahamadpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH752K in the stretch of land from Km. 96.59 to Km. 99.542 (Sub-Divisional Office and Land Acquisition Office, Ahmedpur) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Latur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chakur					
Village: Wadwal Nagnath					
1	13	Private	Agriculture	1.3378 (Hectare)	1.3378
2	14	Private	Agriculture	0.0319 (Hectare)	0.0319
3	169	Private	Agriculture	0.2987 (Hectare)	0.2987
4	171	Private	Agriculture	0.0599 (Hectare)	0.0599
5	172	Private	Agriculture	1.2247 (Hectare)	1.2247
6	174	Private	Agriculture	0.3448 (Hectare)	0.3448

7	176	Private	Agriculture	0.7163 (Hectare)	0.7163
8	178	Private	Agriculture	0.6599 (Hectare)	0.6599
9	308	Private	Agriculture	0.824 (Hectare)	0.824
10	309	Private	Agriculture	0.8352 (Hectare)	0.8352
11	314	Private	Agriculture	0.6414 (Hectare)	0.6414
12	315	Private	Agriculture	0.1429 (Hectare)	0.1429
13	316	Private	Agriculture	0.1635 (Hectare)	0.1635
14	317	Private	Agriculture	0.1626 (Hectare)	0.1626
15	318	Private	Agriculture	0.3379 (Hectare)	0.3379
16	319/1	Private	Agriculture	0.2966 (Hectare)	0.2966
17	320	Private	Agriculture	0.4392 (Hectare)	0.4392
18	322	Private	Agriculture	0.7618 (Hectare)	0.7618
19	324	Private	Agriculture	0.1449 (Hectare)	0.1449
20	332	Private	Agriculture	0.3339 (Hectare)	0.3339
21	388	Private	Agriculture	0.0219 (Hectare)	0.0219
22	389	Private	Agriculture	0.0389 (Hectare)	0.0389
23	4	Private	Agriculture	0.3036 (Hectare)	0.3036
24	5	Private	Agriculture	0.7552 (Hectare)	0.7552
25	Nalla	Government	Non Agriculture	0.0765 (Hectare)	0.0765
26	Railway	Government	Non Agriculture	0.1408 (Hectare)	0.1408
27	Road	Government	Non Agriculture	0.3766 (Hectare)	0.3766
Total					11.4714

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2022-23/56/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director